

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3682

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

शहरी खपत में मंदी

3682. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार ने शहरी खपत में मंदी के लिए जिम्मेदार कारकों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) शहरी खपत में मंदी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सौंदर्य प्रसाधन सेवाओं को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार ने खपत को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में व्यय योग्य आय बढ़ाने के लिए व शष्ट नीतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का मांग में वृद्धि और खपत बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर आयकर और जीएसटी दरों में कमी करने का विचार है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के लिए मौजूदा मूल्यों पर अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (व भन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखे बिना) वर्ष 2022-23 में ₹6,459 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6,996 हो गया। सरकार ने समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यापारिक सुगमता में सुधार करने, कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए एक इकोसिस्टम को सक्षम बनाने तथा अवसंरचना और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए व भन्न पहलें की हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में, करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया है। इन प्रयासों से प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं सहित व भन्न वस्तुओं और सेवाओं की शहरी खपत को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। फलहाल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के लिए जीएसटी परिषद द्वारा कोई सफारिश नहीं की गई है।
